

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 19/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रतापाराम पुत्र कोजाराम 2. झीमोंदेवी पत्नि कोजाराम (फौत के कायम मुकाम वादी सं. 3) 3. गेरों पुत्री कोजाराम पत्नि रामाराम (विलोपित) जाति कलबी निवासी नारायणपुर, सड़ा तहसील सिणधरी		1. ईसराराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी निवासी नारायणपुर, सड़ा तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, प्रतिवादी सं. की ओर से उप।
3. प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार उप।

निर्णय

दिनांक— 08.10.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवार मण्डल सड़ा के मौजा नारायणपुर के खसरा संख्या 124/2,272/124,273/124 रकबा कमशः 7.4185,3.2926,0.8252 हैक्टेयर, मौजा सड़ा झूण्ड के खसरा नम्बर 278/237 रकबा 5.7844 हैक्टेयर तथा मौजा रामकिशन नगर के खसरा नम्बर 479/271 रकबा 4.6032 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 10.07.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया।

विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस के तथ्यों में कथन किया कि पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से

राजस्व सहायक कलक्टर
सिणधरी



खुल्ले हुये हैं जो सही खुल्ले हुये हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा किया हुआ है तथा अपने विधिक हक हिस्से के अनुसार ही मौके पर काबिज होकर काशत रहे हैं तथा पक्षकारान के मौके पर कब्जा काशत व विधिक हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जा काशत के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते हैं परन्तु वादीगण उपजाऊ भूमि को अपने हिस्से मंरखते अनपजाऊ व धोरे वाली जमीन प्रतिवादी संख्या 1 को देना चाहता तो कतई विधि सम्मत नहीं है। जिस हेतु प्रतिदावा पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कभी भी वादीगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सरकारी योजना के तहत आवास आदि स्वीकृत होने पर उनमें बाधा कारित करने की नियत से गलत व मनगढत तथ्य अंकित कर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 भी वादीगण के समान ही वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है तथा एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता है इसलिये वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत खारिज किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काशत की भूमि खसरा नम्बर 124/2 रकबा 7.4185 हेक्टर, खसरा नम्बर 272/124 रकबा 3.2926 हेक्टर, खसरा नम्बर 273/124 रकबा 0.8252 हेक्टर मौजा नारायणपुर व खसरा नम्बर 278/237 रकबा 278/237 रकबा 5.7844 हेक्टरा ग्राम सडा झुण्ड तथा खसरा नम्बर 479/271 रकबा 4.6032 हेक्टर मौजा रामकिशन नगर पटवार क्षेत्र सडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आई हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रत्येक खसरे में खातेदारी का है तथा इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संया 1 के मध्य आपसी सहमति से मौके पर मौखिक रूप से बंटवाडा किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काशत कर रहा है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से अनुसार भूमि का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाकर विभाजन करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया जावे।

इसके विपरीत वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 मौके पर बाहमी बंटवाड़े अनुसार अपनी-अपनी ढाणियों में रहवासरत हैं, जिसमें टांके, चारबाड़े इत्यादि बने हुए हैं। प्रतिवादी सं. 1 मात्र वादी को अनावश्यक परेशान करने की बदनियती से आपत्ति प्रार्थना पत्र अथवा प्रतिदावा प्रस्तुत किया है, प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा में वाद सं. 35/2021 चांपाराम बनाम प्रतापाराम वगेरहा में विभाजन के दौरान पक्षकारान के मौके पर कब्जा काशत के अनुरूप तैयार विभाजन एवं मौका जांच में प्रत्येक थौक के प्रत्येक खातेदार का मौके पर कब्जा काशत प्रदर्शित किया गया है, तथा उसी पूर्ववत कब्जे के आधार पर विभाजन का प्रकरण निस्तारित किया है। तथा अब चूंकि उसी पूर्ववत कब्जा काशत के आधार पर मौके की स्थिति में

कोई भिन्नता नहीं होने की दशा में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत किया है, जो सही होने से स्वीकार करते हुए अन्तिम निर्णय पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राडिकी की पालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध लिखित साक्ष्यों तथा अभिकथनों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। पक्षकारान के मध्य विभाजन के वाद में वादी द्वारा कब्जे काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अन्तिम निर्णय की इस्तदुआ के विपरीत वकील प्रतिवादी द्वारा पुनः मौके पर कब्जा काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने की दलील पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भलीभांति स्पष्ट है कि पूर्व में पक्षकारान के पूर्वपुरुषों के मध्य विभाजन के वाद में वक्त निर्णय मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार प्रत्येक का नक्शों में प्रदर्शित प्रस्ताव उपलब्ध करवाये जाने पर उसी आधार पर तत्समय निर्णय पारित किया गया। जिसे उभयपक्ष के पूर्वपुरुषों द्वारा स्वीकार किये जाने पर अन्तिम निर्णय पारित किया गया। तथा अब उसी पूर्व कब्जा काश्त के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं मौका कब्जा रिपोर्ट में परस्पर मिलान में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होने से प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की सुतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में विभाजन के वाद में जब कब्जे को लेकर तत्समय निर्धारित सीमाचिन्हों अथवा रेखांकित तथ्यों की समान पुष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति में कब्जे के लेकर कोई वाद-विवाद को अनाश्यक बल दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि पक्षकारान के मध्य आपसी कब्जे काश्त के विभाजन को लेकर कोई वाद-विवाद होता तो तत्समय आवश्यक ही आपत्ति प्रस्तुत की जाती, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधार के विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि वाद का मुख्य कारक सहखातेदारी के खेत के विभाजन को लेकर होने से उसके निपटारे हेतु मौके पर प्राप्त कब्जे काश्त के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती है तथा पक्षकारान के पूर्वपुरुषों द्वारा किये गये तत्समय के विभाजन में प्रदर्शित कब्जा काश्त तथा अब प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होने से प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के तथ्यों दलील के कथन इस वाद के निपटारे में लागू नहीं होते हैं।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा नारायणपुर के खसरा संख्या 124/2,272/124,273/124 रकबा कमशः 7.4185,3.2926,0.8152 हैक्टेयर, मौजा सड़ा झूण्ड के खसरा नम्बर 278/237 रकबा 5.7844 हैक्टेयर तथा मौजा रामकिशन नगर के खसरा नम्बर 479/271 रकबा 4.6032 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

3
सहायक जलक्टर
SDO सिणधरी

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	प्रतापाराम पुत्र कोजाराम जाति कलबी सा. पायला कला	नारायणपुर	124 / 2	4.9457	बा.दो.	0.64	हरा
			273 / 124	0.8252		0.11	
		सड़ा झूण्ड	278 / 237	2.8922		0.37	
		रामकिशन नगर	479 / 271	2.3016		0.35	
		योग		10.9647			
2	ईसराराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी सा. पायला कला	नारायणपुर	124 / 2	2.4728	बा.दो.	0.32	आसमानी
			272 / 124	3.2926		0.43	
		सड़ा झूण्ड	278 / 237	2.8922		0.38	
		रामकिशन नगर	479 / 271	2.3016		0.34	
		योग		10.9592			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

3
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी